

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096



Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Office of the Development Commissioner
SEEPZ Special Economic Zone
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

F.No.: SEEPZ-SEZ/ADMIN/460/2015-16/Vol-X/ Date : 29.04.2025

विषय: सीमा शुल्क पदों को भरना

विकास आयुक्त, सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र, मुंबई के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति द्वारा निम्नलिखित पदों को भरने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद का विवरण और पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं:

क्रमांक	पद का नाम और वेतनमान	पदों की संख्या	योग्य शर्तें
1.	निवारक अधिकारी (सीमा शुल्क) (रु. 9300-34800/-) ग्रेड पे रु. 4600/- 7 वें सीपीसी के तहत पे मैट्रिक्स के लेवल 7 के समकक्ष	02 (दो)	सीमा शुल्क और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकारी (यों):- (अ) (i) मूल संवर्ग एवं विभाग में नियमित आधार पर के सदृश पद धारक। अथवा, (ii) 4500-7000 रु. पूर्व-संशोधित (पे बैंड 5200-20200 एवं ग्रेड पे 2800) में छह वर्ष की नियमित सेवा इसके बराबर; एवं (ब) उत्पाद शुल्क में या सीमा शुल्क के क्रियात्मक कार्य का दो वर्ष का अनुभव।

(*) आईडी नोट संख्या 1268489/2017-स्था (वेतन-II) दिनांक 24.10.2017 के माध्यम से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी -DoPT) के स्पष्टीकरण के अनुसार एमएसीपी / गैर कार्यात्मक उन्नयन के तहत वित्तीय उन्नयन के कारण उच्च वेतनमान/ग्रेड पे (एनएफयू) या गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड अपने मूल संवर्ग में अपने मौलिक पद के वेतनमान/ग्रेड के बराबर संवर्गबाह्य पद के निचले वेतनमान/ग्रेड वेतन में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र हों। इसके अलावा, प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता पर इस विभाग के प्रस्तावित दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि मूल संवर्ग में मूल वेतन गैर-कार्यात्मक उन्नयन (एनएफयू), एमएसीपी, एनएफएसजी आदि के कारण अपग्रेड किया गया है, तो इस तरह के उन्नयन के तहत अपग्रेड किए गए मूल वेतन को प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता के प्रयोजन के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा।”

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा होगी आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक न हो।)

2. प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल सामान्य रूप से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी-DoPT) के दिशानिर्देशों के अनुसार **3 (तीन) वर्ष** है।

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी-DoPT) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रतिनियुक्ति नियम, विनियम और प्रावधान लागू होंगे। उच्च ग्रेड वेतन/मान में एक सरकारी अधिकारी डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्था (वेतन II) दिनांक 17.06.2010 के अनुसार निम्न ग्रेड वेतन/मान में किसी पद पर

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अपात्र होगा।

4. चयनित अधिकारी भारत सरकार के लागू नियमों के अनुसार स्थानांतरण यात्रा भत्ता और कार्यभार ग्रहण करने के हकदार होंगे।

5. निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ पात्र और इच्छुक अधिकारियों, जिन्हें चयन की स्थिति में कार्यमुक्त किया जा सकता है, के आवेदन प्रोफार्मा (अनुलग्नक-I) पर उचित माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

अ) पिछले पांच वर्षों की वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (एपीएआर) की प्रतिलिपि वांछनीय है, यदि नहीं तो 02 वर्षों की वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (एपीएआर) अनिवार्य है, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया हो।

ब) परीक्षक/सीजीएसटी निरीक्षक संवर्ग के अधिकारी भी पात्र हैं और इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।

क) सतर्कता मंजूरी प्रमाणपत्र

ड) सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र

ई) पिछले 10 वर्षों के दौरान किसी भी लंबित कार्यवाही के दौरान लगाए गए दंड का विवरण यदि कोई विचाराधीन है।

6. उचित माध्यम से प्राप्त होने के बाद ही आवेदन पर विचार किया जाएगा।

7. उपरोक्त आवश्यकताओं के अभाव में और आवेदन अपूर्ण पाए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. चयन के समय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर पदों की संख्या और पोस्टिंग का स्थान भिन्न हो सकते हैं और विकास आयुक्त, सेज़ बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रिक्ति परिपत्र को संशोधित करने और/या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

9. आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता है:-

विकास आयुक्त,
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र,
भारत सरकार,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
सीपज़ सेवा केंद्र भवन,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

10. उपर्युक्त अधिकारियों के नाम प्राप्त होने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार पर विज्ञापन जारी होने की तिथि से **45 दिन** है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।



(जय मनोज शाह /Jay Manoj Shah)

उप. विकास आयुक्त / Dy. Development Commissioner
सीपज़-सेज़, मुंबई / SEEPZ-SEZ, Mumbai

जीवन वृत्त

1	कार्यालय का नाम तथा पता (स्पष्ट अक्षरों में)					
2	जन्म तारीख					
3	केंद्र / राज्य सरकारी नियमों के तहत सेवा निवृत्ति की तारीख					
4	शैक्षिक अहर्ताएं					
5	वर्तमान मूल वेतन					
6	नियमित आधार पर धारित पद तथा वेतनमान (पूर्व संशोधित) तथा इस पद पर नियमित नियुक्ति की तारीख					
7	स्थायी पद वेतनमान के साथ (पूर्व संशोधित) तथा स्थायीकरण की तारीख					
8	कालक्रम से पदों का विवरण (यदि नीचे स्थान पर्याप्त न हों, तो अपने हस्ताक्षर से विधिवत अभिप्रमाणित अलग शीट संलग्न करें)।					
क्रम संख्या	कार्यालय / संगठन का नाम	धारित पद	से	तक	वेतनमान तथा मूल वेतन	कर्तव्यों की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7
9	वर्तमान पद की प्रकृति अर्थात् क्या यह तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा स्थायी है					
10	यदि वर्तमान पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर हो, तो कृपया उल्लेख करें:- (क) वर्तमान धारित पद की तारीख (ख) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अवधि (ग) मूल कार्यालय / संगठन का नाम					
11	वर्तमान कार्य के संबंध में अतिरिक्त ब्यौरा कृपया उल्लेख करें कि क्या (क) केंद्र सरकार (ख) राज्य सरकार (ग) स्वायत्त संगठन (घ) सरकारी उपक्रम (ङ) विश्वविद्यालय के अधीन कार्य कर रहे हैं।					

12	अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जो आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में देना चाहते हों। (यदि स्थान अपर्याप्त हो, तो अलग शीट में विवरण दिया जाए।)	
13	क्या आप अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के हैं।	

ठिकाण :

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

पता:

फोन नंबर

मोबाइल नंबर:

ई-मेल

(नियोक्ता के प्रतिहस्ताक्षरित)